“महोबा पुलिस”

दिनांक- 18.10.2020

सोशल मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक ने गूगल मीट के माध्यम से जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों तथा थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों के साथ गोष्ठी की

कल दिनांक 17.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम ने गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों व शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गयी, जिसमें बालिका एवं महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिये विशेष अभियान “मिशन शक्ति” के तहत संचालित किये जाने महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्बन्ध में वार्ता की गयी साथ ही साथ वर्तमान समय की चुनौतियों व उनके समाधान एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा की गयी व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।

गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह व तकनीकी सहायक के रुप में कं0 आपरेटर अंकुर जायसवाल व कं0 आपरेटर रहमान रशीद मौजूद रहे।

दिनांक- 18.10.2020

"महोबा पुलिस"

सोशल मीडिया सेल

*पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा "मिशन-शक्ति" अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति किया गया जागरुकः-

सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के सन्दर्भ में एक व्यापक कार्ययोजना के क्रम में ***मिशन शक्ति*** अभियान का संचालन किया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 18.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना महोबकंठ में महिलाओं एवं बच्चियों से संवाद स्थापित करते हुये महिलाओं/बालिकाओं की समस्या का निदान करने के साथ-साथ नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे अभियान **"मिशन शक्ति"** के प्रति जागरुक करते हुये महिला हेल्प लाइन नम्बर 181, वूमेन पावर लाइन नम्बर 1090, उत्तर-प्रदेश आपात काल नम्बर 112, चिकित्सकीय आपातकाल 102 के बारे में व अन्य महिला अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय, थानाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार, पीआरओ श्री राजेश कुमार मौर्य व अन्य अधिकारी/कर्मचारिगण मौजूद रहे।

@mahobapolice
SP Mahoba
7839857330

दिनांक- 18.10.2020

"महोबा पुलिस"

सोशल मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक ने थाना महोबकंठ का औचक निरीक्षण कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 18.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना महोबकंठ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों रजि0 नं0-4, रजि0 नं0-8, भूमि-विवाद रजि0, गैगेस्टर रजि0, फ्लाई शीट, महिला उत्पीडन रजि0, आगन्तुक रजि0 आदि का अवलोकन व परिशीलन किया गया जिसमें मुख्य रुप से भूमि-विवाद रजिस्टर व महिला उत्पीडन रजिस्टर को देखते हुये सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इसके साथ ही थाना महोबकंठ में सीसीटीएनएस कार्यालय, बैरिक, मैस आदि चेक किये गये तथा कोविड-19 संक्रमण को देखते हुये थाना परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने हेतु थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने पर आने वाले फरियादियो की समस्याओं को तत्परता से सुनकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। इसके साथ ही पुलिस कर्मियो से वार्ता कर उनकी समस्याओ को जाना गया एवं ड्यूटी के दौरान सभी से मास्क/सैनेटाइजर का प्रयोग करने तथा सोशल डीस्टेन्स बनाये रखने को कहा गया। औचक निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय, थानाध्यक्ष आनन्द कुमार, पीआरओ राजेश कुमार मौर्य मौजूद रहे।

“महोबा पुलिस”

दिनांक- 18.10.2020

सोशल मीडिया सेल

कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध गांजा सहित शातिर अपराधी को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18/10/2020 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री विजय सिंह द्वारा गठित टीम ने देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था गश्त के दौरान एक नफर अभियुक्त मुन्ना चौरसिया पुत्र रज्जू चौरसिया उम्र 30 वर्ष निवासी मु0 इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को पीडब्ल्यूडी तिराहे से हमीरपुर चुंगी जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 566/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मुन्ना चौरसिया पुत्र रज्जू चौरसिया उम्र 30 वर्ष निवासी मु0 इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुमित नारायण 2. उ0नि0 तनवीर अहमद 3. कां0 मुकेश सिंह

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 379/19 धारा 3(1) गैग0 एक्ट
2. मु0अ0सं0 479/18 धारा 379 भादवि
3.मु0अ0सं0 484/18 धारा 41/411 भादवि
4.मु0अ0सं0 535/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
5.मु0अ0सं0 593/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
6.मु0अ0सं0 839/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट

दिनांक- 18.10.2020

"महोबा पुलिस"

सोशल मीडिया सेल

कोतवाली नगर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्री वास्तव के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18/10/2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 528/2020 धारा 354 भादवि व 3(2)5-क, 3(1)ब(**ii**) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र शान मुहम्मद उम्र 19 वर्ष निवासी कसौराटोरी थाना कोतवाली नगर महोबा को छतरपुर रोड पठा तिगैला से गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मोहम्मद अहमद पुत्र शान मुहम्मद उम्र 19 वर्ष निवासी कसौराटोरी थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मुबीन अली
2. कां0 सुमित कुमार

दिनांक- 18.10.2020

"महोबा पुलिस"

सोशल मीडिया सेल

खरेला पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.**10.20** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्वेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह मय हमराह का0 रोहित कुमार व का0 शिवकुमार मौर्या के साथ एक नफर अभियुक्त **घमण्डी पुत्र झुरिया श्रीवास उम्र 45 वर्ष** को **20 अदद क्वार्टर देशी शराब** के साथ विजय सिंह राजपूत के मकान के पास ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 126/20 धारा 60 आब0 अधि0** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बलः-

1.उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह

2.का0 रोहित कुमार

3.का0 शिवकुमार मौर्य

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

घमण्डी पुत्र झुरिया श्रीवास उम्र 45 वर्ष नि0 ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा।

“मिशन शक्ति” के तहत महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त के दौरान बालिकाओं/महिलाओं को किया गया जागरुक

आज दिनाँक 18.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में समस्त थानों द्वारा **“मिशन शक्ति”** के तहत थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके महिलाओं/बालिकाओं को मिशन-शक्ति की जानकारी देते हुए सुरक्षा/स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया तथा उन्हे महिला हेल्पलाइन 1090 व डायल 112 की जानकारी दी गई एवं उनके कानूनी अधिकारो से भी अवगत कराया गया तथा उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाया गया।

इस क्रम में नोडल अधिकारी मिशन-शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना राजपूत मय टीम द्वारा शहर के विभिन्न मोहल्लो में जाकर कोचिंग की छात्राओं तथा महिलाओं को **मिशन-शक्ति** के बारे में बताया तथा जागरुक किया।

कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 4750/-रू0 का जुर्माना एवं यातायात नियमो के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 18.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में चेकिंग की गई । जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन** पर समस्त थानो द्वारा **कोविड-19 के तहत 47 व्यक्तियों से 4750/-रू0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर **29 ई-चालान** भी किया गया ।